

फर्द अहकाम

विनीद

बगाम डागदीशनारायण

मालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 28/2023

नाम आता कार्यवाही	आज्ञा विरुद्ध रूप से	विशेष विवरण
	<p>स्वीकृत किए जाने से पूर्व इस स्तर पर निर्णित नहीं किया जा सकता है। इसलिये प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपक्षित धारा 11, 15। सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपक्षित धारा 11, 15। सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी सं. 1, 3 लगा 7 के जवाबदावा एवं प्रतिवादी सं. 2, 8 लगा 12 की ईतजार तलबी हेतु दिनांक 17/11/2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>mm</u></p>	
	<p>17/11/23 पत्रावली पेश हुई। PO माहव वीर अन्व कार्य में व्यस्त होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक...29.11.23...को पेश हो।</p>	
	<p>29/11/23 पत्रावली पेश हुई। यकुलाय द्वारा कन्डोलेंस/कार्य सन्धान करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक...07/02/24 को पेश हो।</p>	
12/01/24	<p>प्रार्थना पत्र मिसल तलब करने हेतु स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज नम्बर पर ली गयी। प्रार्थीगण/वादीगण ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सीपीसी वाकत वादपत्र को बिड़ी की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण/वादीगण ने आदेशिका पर</p>	<p style="text-align: right;">Dhood Dunil 20 12-1-2024</p>

फर्द अहकाम

बनाम जगदीशनरायण

दिनांक

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 28/2023

आज्ञा विस्तृत रूप से

नाम न्यायालय : सह

दि/प्रार्थना प

नांक आज्ञा

कार्यवाही

क्रम
संख्या

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

इस्ताक्षर किये जिनकी पहचान वादीगण के अधिवक्ता श्री विकास कुमार शर्मा ने की। प्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र क्र. 23 नियम 1 सीपीसी का प्रस्तुत कर उनका वादपत्र को विद्वी की अनुमति प्रदान कर खारिज करवाने हेतु विवेक किया।

प्रार्थीगण/वादीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने एवं प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र 023 R1 सीपीसी पर सुनने के उपरान्त न्यायाधीश को दृष्टान्त में रखते हुए पत्रकारों के मध्य आपसी समझौता से राजीनामा हो जाने के कारण प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना पत्र क्र. 23 नियम 1 सीपीसी वाकत वादपत्र को विद्वी की अनुमति प्रदान करने का स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना पत्र 023 R1 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादपत्र विद्वी की अनुमति दी जाकर वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाह्य तकमील दायरे में है।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला-जयपुर